

न्यायालय नायब तहसीलदार चीखवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का झालरा

बनाम

अप्रार्थी :- श्री रामनाथदास रतनायक निवासी झालरा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

जाट

प्रकरण संख्या 22 / 2018

निर्णय


दिनांक 29.5.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झालरा में अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 275 में सरहद के खसरा नम्बर 232 मी. किस्म गो-कु में रकबा 0.0160 1/2 बीघा भूमि में नाई लगाया कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वद्वे द्वारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ने दिनांक को उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मंजा झालरा के खसरा नम्बर 232 किस्म गो-कु में रकबा 0.0160 1/2 बीघा की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रूपय प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0160 1/2 बीघा भूमि के 0.096 रूपये लगान का 50 गुणा 5.00 रूपये अक्षरे चाँद रूपये वतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी क्रूर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 29.5.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


नायब तहसीलदार पालना